मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय, भोपाल।

---000---

क्रमांक 120 /139/2022/1-15/क.क भोपाल, दिनांक 24/03 /2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।	2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।	4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल।	6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।	8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल।	10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, भोपाल।

विषय :- माननीय मंत्री समूह की बैठक दिनांक 25/03/2022 के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र दिनांक 17/03/2022, एवं 21/03/2022

---000---

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में दिनांक 26/03/2022 एवं 27/03/2022 को पचमढ़ी में आयोजित मंत्री परिषद् बैठक के संदर्भ में कर्मचारियों से संबंधित मांग पत्र (संशोधित) संलग्न प्रेषित है

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय मंत्रीजी श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में आज दिनांक 24/03/2022 को बैठक आयोजित हुई। माननीय मंत्रीजी द्वारा उक्त विषय में दिनांक 25/03/2022 को पुन: बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें संबंधित विभाग से स्पष्ट एवं संक्षिप्त अभिमत सहित जानकारी के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

अत: निर्देशानुसार अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में स्पष्ट अभिमत के साथ जानकारी आज दिनांक 24/03/2022 को शाम 4:30 बजे तक इस विभाग को **ई-मेल आई.डी. dsgad005@gmail.com, Whatsapp no. 7566259621 एवं हार्ड कॉपी** में भेजने का कष्ट करें एवं बैठक दिनांक 25/03/2022 को दोपहर 12:00 बजे वल्लभ भवन-3, कक्ष क्रमांक ई-310 में जानकारी सहित चर्चा हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि

24/3/2022

(मधु नाहर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्र0 121 /139/2022/1-15/क.क. भोपाल, दिनांक 24/03 /2022

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं परिवहन विभाग भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत, पुनर्वास विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल।
4. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सादर सूचनार्थ।
5. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सादर सूचनार्थ।

24/3/2022

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कर्मचारी संगठनों से प्राप्त मांग पत्र

स.क्र.	संगठन का नाम	मांग		संबंधित विभाग	विभागीय टीप (पूर्व से लागू है/ किया जा सकता है/ कठिन है)	कठिनाई का विवरण
1.	म.प्र. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मार्चा	1.1	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता पुनरीक्षित करने बाबत्।	वित्त विभाग		
		1.2	म.प्र. के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में।	वित्त विभाग		
		1.3	अधिकारियों/कर्मचारियों को मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में सशर्त पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारम्भ की जावे।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		1.4	प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित पेंशनरों, निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वास्थ बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद् के आदेश दिनांक 04/01/2020 के संदर्भ में दिया जावे।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
		1.5	प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्त व अन्य भत्ते सातवे वेतनमान अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे।	वित्त विभाग		
		1.6	अध्यापक संवर्ग को नये शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनाक से दिया जावे एवं सहायक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षक का पदनाम वेतनमान अनुसार दिया जावे।	स्कूल शिक्षा विभाग		
		1.7	लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे।	वित्त विभाग		
		1.8	प्रदेश के विभिन्न संवर्गो की वेतन विसंगति का निराकरण किया जावे।	वित्त विभाग		
		1.9	दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी आउटसोर्शिंग कर्मचारियों को नियमितिकरण किया जाकर, अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण किया जावे।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		1.10	आउट शोर्सिंग प्रथा को समाप्ट कर संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, एवं पूर्व से आउट शोर्स पर लगाये गये कर्मचारियों को नियमित करने बाबत्।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		1.11	कार्यभारित कर्मचारियों को सेवा निवृत्त पर अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्रदान करने बाबत्।	वित्त विभाग		
		1.12	प्रदेश के पेंशनर्स को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता घोषित कर भुगतान कराये जाने के संबंध मे।	वित्त विभाग		

		1.13	महंगाई भत्ते के एरियर की राशि का भुगतान देय तिथि से कराये जाने के संबंध में।	वित्त विभाग		
2.	म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ	2.1	भृत्य का पदनाम परिवर्तन कर कार्यालय सहायक अथवा कार्यालय परिचारक करने के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		2.2	प्रदेश में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वृत्तिकर से मुक्त रखा जाये।	वाणिज्क कर विभाग		
		2.3	आउट सोर्सिंग से भर्ति बंद कर रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ति से की जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		
3.	म.प्र. पंचायत सचिव संगठन	3.1	प्रदेश की ग्राम पंचायतों में परस्थ 23000 पंचायत सचिवों को एक अप्रैल 2018 से दिये गये 6 वें वेतनमान निर्धारण में सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक से कर त्रुटिपूर्ण गणना निर्धारण सुधार करने के संबंध में।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
		3.2	प्रदेश के पंचायत सचिवों का राज्य स्तरीय संवर्ग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन करने बाबत्।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
		3.3	प्रदेश के पंचायत सचिवों के साथ सौतैला व्यवहार कर, 7 वें वेतनमान से वंचित करने एवं अध्यापक संवर्ग को दिये गये दिनांक से ही पंचायत सचिवों का 7 वें वेतनमान का लाभ 6 वें वेतनमान की गणना दुरूस्त कर, लाभ देने के संबंध में।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
		3.4	पंचायत सचिवों के प्रदेश भर में लंबित लगभग 500 दिवंगत सचिवों के अनुकम्पा आश्रितों के प्रकरणों का नियुक्ति प्रदान कर निराकरण करने के लिए परिसीमन में घटित पंचायतों या जिस जिले में जिला संवर्ग का पद रिक्त है नियुक्तियॉ प्रदान करने के संबंध में।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
		3.5	पंचायत सचिवों की मृत्यु पर दिवंगत सचिवों के परिजनों को पूर्व में दी गई मृत्यु अनुग्रह सहायता नियुक्त अनुकम्पा आश्रितों बिना राज्य शासन के निर्णय के निर्धारित 10,000/- मानदेय से अमानवीय रूप से वसूली को निरस्त करने के संबंध मे।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
		3.6	पंचायत सचिवों की सेवा निवृत्ति पर 10 लाख रू सेवा-सम्मान निधि का प्रावधान किये जाने के संबंध में।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		

		3.7	सितम्बर 2013 में प्रदेश सरकार द्वारा जारी पंचायत सचिवों के समन्वयक अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने के आदेश के क्रियांवयन कर समन्वयक अधिकारियों के रिक्त लगभग 500 पदों पर पदोन्नत किये जाने के संबंध मे।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
4.	म.प्र. सचिवालयीन (मंत्रालयीन) कर्मचारी संघ	4.1	01 जुलाई, 2022 एवं 01 जुलाई 2021 को देय वेतनवृद्धि एरियर सहित तत्काल दी जाये।	वित्त विभाग		
		4.2	महंगाई भत्ता में केन्द्र सरकार के अनुरूप वृद्धि की जाये।	वित्त विभाग		
		4.3	भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं कोषालय सेवा की भांति मंत्रालय कर्मचारियों को भी प्रति 8 वर्ष उच्च पद पर क्रमोन्नति देने संबंधी प्रावधान किया जाये।	वित्त विभाग		
		4.4	शासकीय सेवा में सीधी भरती से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये परीविक्षा अवधि में स्टायपेंड के रूप में वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत दिये जाने संबंधी व्यवस्था को समाप्त कर पूर्व की भांति नियुक्ति पर पूर्ण वेतनमान दिये जाने एवं तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि को संशोधित कर पूर्व की भांति 2 वर्ष की परीविक्षा अवधि की जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		4.5	सचिवालय भत्ते का पुनरीक्षण किया जाये।	वित्त विभाग		
		4.6	मंत्रालयीन सहायक वर्ग 3 एवं स्टेनो टायपिस्ट को वेतनमान रू 5200-20200 में ग्रेड पे 1900/- के स्थान पर 2400 की जाये।	वित्त विभाग		
		4.7	मंत्रालयीन स्टेनोटायपिस्ट/स्टेनोग्राफर की परीविक्षा अवधि अन्य संवर्गो की भांति नियुक्ति दिनांक से प्रारंभ की जाये। अभी स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटायपिस्ट की परीविक्षा अवधि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से प्रारंभ की जाती है।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		4.8	गृह भाड़ा एवं अन्य भत्ते सातवें वेतनमान के अनुरूप दिये जाये।	वित्त विभाग		
		4.9	सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण न करने पर हो रही सेवा समाप्ति की कार्यवाही रोकी जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		4.10	अनुभाग अधिकारियों एवं निज सचिवों को तीसरे समयमान वेतनमान में ग्रेड पे रू 4800/- के स्थान पर 5400/- दिया जाना।	वित्त विभाग		
		4.11	मंत्रालयीन सहायक वर्ग 3 को तीसरे समयमान वेतनमान में अनुभाग अधिकारी पद का वेतनमान दिया जाये।	वित्त विभाग		

		4.12	शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति तथा पूर्ण पेंशन हेतु 25 वर्ष की सेवा को मान्य किया जाये।	वित्त विभाग		
		4.13	मंत्रालय में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कुलियों को स्थायीकर्मी का दर्जा दिया जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		4.14	मंत्री स्थापना से मंत्रालय स्थापना में आये भृत्यों को पे-प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाये।	वित्त विभाग		
		4.15	भृत्य संवर्ग की तृतीय समयमान की विसंगति दूर करने बाबत्।	वित्त विभाग		
5.	पेन्शनर्स एसोसिएशन म.प्र.	5.1	माह जनवरी 2020 से 4 प्रतिशत माह जुलाई 2020 से 3 प्रतिशत माह जनवरी 2021 से 4 प्रतिशत माह जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत यानी क्रेन्द्र शासन एवं अन्य राज्यों की तुलना में 14 प्रतिशत कम मिल राह है जो कि शासन स्तर पर लंबित हे।	वित्त विभाग		
		5.2	आयुष्मान योजना का लाभ पेंशनर्स को दिया जावे।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
		5.3	स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाये विलम्ब यदि हो तो रूपये 1000/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जावे।	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं वित्त विभाग		
		5.4	छटवे वेतनमान का माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02 मार्च 2020 के अनुसार दिनांक 01/01/2006 से 31/08/2008 तक 32 माह का ऐरियर्स 6 प्रतिशत ब्याज सहित पेंशनर्स को दिया जावे।	वित्त विभाग		
		5.5	सातवे वेतनमान का ऐरियर्स दिनांक 01/01/2016 से 31/03/2018 तक 27 माह का एरियर्स केन्द्र सरकार के परिपत्र दिनांक 12/05/2017 का अनुपालन करते हुये दिया जावे।	वित्त विभाग		
		5.6	दिनांक 01/01/2019 से 30/09/2021 तक 27 माह का मंहगाई राहत का ऐरियर्स भुगतान किया जावे।	वित्त विभाग		
6.	सेमी गवर्नमेन्ट एम्पलाईज फेडरेशन, एम.पी.	6.1	समस्त निगम मण्डलों सहकारी संस्थाओं में सातवॉ वेतनमान लागू किया जाये। साभ ही एरियर्स का भुगतान किया जाये।	वित्त विभाग		
		6.2	समस्त निगम मण्डलों सहकारी संस्थाओं में सेवानिवृत्त अधि वार्षिक आयु में वृद्धि कर सेवानिवृत्तआयु 62 वर्ष की जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		

		6.3	निगम मण्डलों सहकारी संस्थाओं में कोरोना के दौरान सैकड़ो की तादाद में मृतक कर्मचारियों के परिवार के संदस्यों के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है मृतक कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		6.4	आदिवासी वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं में वर्ष 96 से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जावे।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		6.5	ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें निगम मण्डलों सहकारी संस्थाओं में विलय करते समय सशर्त पेंशन का लाभ देने का वादा किया गया था ऐसे कर्मचारियों को 'राज्य शासन के समान पेंशन योजना का लाभ दिया जाये।	वित्त विभाग		
7.	म.प्र. कर्मचारी मंच	7.1	प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर सीधी भर्ती न की जाकर स्थाई कर्मियों, कम्प्युटर ऑपरेटरों, संविदा कर्मचारियों, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, दैनिक वेतन भोगियों को योग्यता एवं प्रथमिकता के आधार पर नियमित नियुक्ति प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		
8.	म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन संघ	8.1	उपयंत्री संवर्ग को 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर सहायक यंत्री तथा 28 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर कार्यपालन यंत्री का पदनाम दिये जाने बाबत्।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		8.2	उपयंत्री संवर्ग का प्रारंभिक ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4800 किया जाये।	वित्त विभाग		
9.	मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस	9.1	शासकीय कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण 300 दिवस का लाभ दिया जा रहा है। उसी प्रकार शासकीय कार्यभारित कर्मचारियों को भी अवकाश नगदीकरण 300 दिवस का लाभ दिया जाये।	वित्त विभाग		
		9.2	शासकीय कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जावे। जैसे की आपने चिकित्सक एवं शिक्षक वर्ग की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की है।	वित्त विभाग		
		9.3	शासकीय कार्यभारित कर्मचारियों की प्रथा समाप्त कर नियमित स्थापना की किया जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		9.4	समस्त विभागों में कार्यरत आउटसोर्य से कार्यरत डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं अन्य कर्मचारी को नियमित किया जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग		

		9.5	समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जावे, नियमित की कार्यवाही विलंब होने के कारण 90 प्रतिशत मानदेय की कार्यवाही किया जावे।	वित्त विभाग		
10.	मध्यप्रदेश अजाक्स संघ	10.1	मप्र शासन के सभी समस्त विभागों के उपक्रमों, नगर पालिका, नगर निगमों, सहकारी संस्थाओं, महाविद्यालयों में बेकलाग के लाखों रिक्त पदों की सीधी भर्ती जिला स्तर पर 3 माह के भीतर की जाये।	संबंधित समस्त विभाग		
		10.2	कोटवारों का वेतन अन्य कर्मचारियों के तरह निर्धारित कर बढ़ाया जाये।	राजस्व विभाग		
		10.3	अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को दिये गये आवास एवं कृषि भूमि पट्टेदारों को मातिकाना हक दिलाया जाये। आदिवासियों के पट्टे की भूमि को नियम विरूद्ध सामान्य वर्ग के नाम दर्ज की गई है उसे तत्काल निरस्त कर वापस आदिवासियों को दिया जावे।	राजस्व विभाग		
11.	म.प्र. अपाक्स संघ	11.1	पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया जावे।	समस्त विभाग		
		11.2	निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जावे।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		11.3	शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जावे।	विधि और विधायी कार्य विभाग		
12.	म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ	12.1	लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर कर छठवें वेतनमान ग्रेड पे 2400 एवं 2800 किया जाये।	वित्त विभाग		
		12.2	कार्यभारित कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह चिकित्सा एवं अर्जित अवकाश की सुविधाएं प्रदान की जावे।	सामान्य प्रशासन विभाग		
		12.3	30 जून को सेवानिवृतत हो रहें कर्मचारियों को जुलाई की एक वेतनवृद्धि प्रदान कर सेवानिवृत्त किया जावे। उक्त निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दिया गया है।	सामान्य प्रशासन विभाग एव वित्त विभाग		
		12.4	अधिकारी/कर्मचाकरियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जावे।	सामान्य प्रशासन विभाग		
13.	म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ	13.1	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 को बनाई गई संविदा नीति की विसंगतियों को दूर किये जाने के निर्देश/आदेश जारी करें जिससे जिन संविदा कर्मचारियों के लिए वो नीति बनाई गई है उन्हें वास्तव में लाभ प्रदान हो सके।	सामान्य प्रशासन विभाग		

14.	म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ	14.1	अधिवार्षिकी आयु 33 वर्ष के स्थान पर केन्द्र के समान किये जाये।	सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग		
		14.2	समस्त विभागों के राजपत्रित अधिकारियों को 5 स्तरीय उच्चतर पदोन्नत वेतनमान दि जाये।	वित्त विभाग		